

हकूम या कार्यवाही भय इनिशियल जज

संख्या व तारीख
अदालत की दफ्तरी
मुद्रा की आवश्यकता
नहीं है


25/6/25

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42003 दिनांक 13/2/25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विधायी राजस्थान कारखाने अधिनियम 1958 की धारा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, एवं 212 के अन्तर्गत विधायी राजस्थान कारखाने सवाईपुर की पत्रावलिया अंतरित होकर वास्तु सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारों को वास्तु सुनवाई तलख किया जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों का सम्बन्ध रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान कारखाने अधिनियम 1958 की धारा 216 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों में त्वरित न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु कंप्य कोर्ट दिनांक 25/6/25 तक जोगा ठाण्डा पेश हुई। पक्षकारों उपरिष्ठा/अनुपस्थित पत्रावली वास्तु सुनवाई जॉर्जि से 1, 2 व 3 के स्वर्धे उपरिष्ठा ILR

श्रीमान

रामदास

नि.वां.सु



ILR number

आवेदन उपरिष्ठा जामिनाद द्वारा उपरिष्ठा सुनवाई संख्या 2025/146 कोर्ट कार्यालयी शेष नहीं रहने से जारी किया जा चुका है। अतः जामिनाद द्वारा उपरिष्ठा जामिनाद प्रय अन्तर्गत आवक शिखर राजस्थान कारखाने अधिनियम कारखाने किला धारा 54 निर्दिष्ट करे बजलास मुनाफा गणना पत्रावली फौजल शुमार होकर तालिम दफ्तर ही तपका नम्बर से कल है।

25/6/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा